



2026:AHC:50993

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 3041 वर्ष 2026

मोनिका

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कृष्ण कुमार मौर्य, वेद व्यास मिश्र

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वेद व्यास मिश्रा और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
2. इस न्यायालय ने दिनांक 26.02.2026 को इस याचिका को स्वीकार करते हुए, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे आवश्यक निर्देश प्राप्त करें; तत्पश्चात् इस मामले को आज के लिए निर्धारित किया गया।
3. आज श्री राहुल मालवीय, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, द्वारा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं यातायात, गाजियाबाद के हस्ताक्षर से दिनांक 09.03.2026 को जारी निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं।
4. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता वर्तमान में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था, हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 12.01.2026 को पारित आदेश के आधार पर, रिट याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया है और दिनांक 12.01.2026 को ही उसे कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
5. इसी को चुनौती देते हुए, रिट याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत रिट याचिका दायर की है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इस न्यायालय के समक्ष निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें पृष्ठ-4 पर दिनांक 25.03.2026 का एक आदेश संलग्न है, जिसके द्वारा निलंबन आदेश को रद्द कर दिया गया है और रिट

डब्ल्यूआरआईए संख्या 3041 वर्ष 2026

2

याचिकाकर्ता को बहाल कर दिया गया है।

7. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं करते हैं, परंतु उनके अनुसार, रिट याचिकाकर्ता को उन्हीं आरोपों के आधार पर 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया है, जिन पर पूर्व में ही जाँच की जा चुकी है। अतः उनका यह निवेदन है कि उक्त कारण बताओ नोटिस को कायम नहीं रखा जा सकता।

8. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का यह निवेदन है कि स्थिति चाहे जो भी हो, यदि कारण बताओ नोटिस उन आरोपों के आधार पर जारी किया गया है जिनके संबंध में पहले ही जाँच की जा चुकी है, तो रिट याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्प सदैव खुला रहता है कि वह कारण बताओ नोटिस का जवाब दे और सभी विधिक तथा तथ्यात्मक आधारों को प्रस्तुत करे।

9. रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता ने पहले ही सभी कानूनी आधारों को ध्यान में रखते हुए जवाब दे दिया है अतः यह निर्देश दिया जाता है कि प्राधिकारी कानून के अनुसार शीघ्रता से अंतिम निर्णय ले, और इस बात को ध्यान में रखे कि रिट याचिकाकर्ता का यह दावा है कि कारण बताओ नोटिस उन आरोपों पर आधारित है जिनकी जाँच पहले ही की जा चुकी है।

10. तदनुसार, रिट याचिका का **निपटारा** किया जाता है।

11. आज प्रस्तुत निर्देश रिकॉर्ड पर ले लिए गए हैं और उन्हें परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया गया है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

12 मार्च, 2026

आशु

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।